के लिए विश्व बैंक के उप-प्रधान श्री अरिलो करावाँसो कानोगुलू के इस कथन की ओर दिलाया गया है कि भारत में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 16 परियोजनाओं की गति बहुत धीमी है ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं और उस पर धीमी गति से कार्य होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) भविष्य में इन्हें शीघ्र ही पूरा करने के लिए क्या-क्या विशेष कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) से (ग) जी, हां। जिस विवरण का हवाला दिया गया है, वह संबंधित क्षेत्रों में अन्य परियोजनाओं की तुलना में अपेक्षाकृत धीमे संवितरण वाली परियोजनाओं का पता लगाने के लिये किये गये एक पुनरीक्षण के निष्कर्ष पर आधारित है। पता लगाई गई ऐसी सोलह परियोजनाओं की सूची निम्नलिखित है :

1. केन्द्रीय विद्युत पारेषण
2. इंदिरा सरोवर
3. फरक्का तापीय विद्युत–II
4. केरल विद्युत
5. ऊपरी इंद्रावती विद्युत
6. पश्चिमी बंगाल लघु सिंचाई
7. ऊपरी गंगा सिंचाई
8. महाराष्ट्र सिंचाई
9. वर्षा पोषित जल-विभाजक
10. हिमालयाई जल-विभाजक
11. राष्ट्रीय कृषि विस्तार–I
12. तमिलनाडु जल आपूर्ति
13. मध्य प्रदेश शहरी
14. कलकत्ता शहरी–III
15. रेलवे विद्युतीकरण
16. झरिया कोकिंग कोयला

अपेक्षाकृत धीमे संवितरण निष्पादन के लिए उत्तरदायी मुख्य घटकों में से कुछ हैं : भूमि अधिग्रहण और अधिदेशात्मक स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब, जिनमें पर्यावरणिक और वानिकी संबंधी स्वीकृति भी सम्मिलित है, तकनीकी समस्याएं अप्रत्याशित लागत बचतें तथा राज्यक्षेत्र की परियोजनाओं में दूसरे पक्ष द्वारा अपर्याप्त निधिकरण।

परियोजनाओं के यथासमय क्रियान्वित हो जाने को सुगम बनाने के लिए गहन पुनरीक्षण के माध्यम से एक विस्तृत अनुश्रवण प्रणाली तैयार की गई है जिसमें आर्थिक कार्य विभाग, प्रशासनिक मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकार शामिल है। इसके अतिरिक्त, इसी उद्देश्य से राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे विदेशी सहायता से चल रही परियोजनाओं के बारे में तत्परतापूर्वक त्रैमासिक पुनरीक्षणों की व्यवस्था करें।

शहर के गरीब लोगों को ऋण दिया जाना

2429. श्री अजीत जोगी :
ठाकुर जगतपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहर के गरीब लोगों की स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दिये गए ऋणों के उपयोग अथवा दुरुपयोग की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि बहुत बड़ी संख्या में अपात्र लोगों को ऋण दिये गये हैं तथा इसलिये उन्होंने उनका उपयोग उस हेतु नहीं किया है जिस हेतु ये ऋण मंजूर किये गये थे ;

(घ) यदि हां, तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में कोई भूमिका जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को देने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) से (घ) सम्भवतः माननीय सदस्य का इशारा शहरी गरीबों के स्व-रोजगार कार्यक्रम की ओर है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी गरीबों को जिन बैंक-शाखाओं द्वारा

ऋण प्रदान किया जाता है उनसे आशा की जाती है कि वे संवितरित ऋण के उपयोग पर निगरानी रखेंगे और ऋण की रकम देय होने पर उसकी वसूली करेंगे । भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण के उपयोग के आकलन के लिए उसने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है । भारतीय रिजर्व बैंक ने यह दर्शाने के लिए कि शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के उधारकर्ता पात्र हैं, विस्तृत मार्ग-निर्देश जारी किये हैं तथा जब कभी इन मार्ग-निर्देशों से विचलन का कोई मामला बैंक प्रबन्धन के ध्यान में आता है तो उस पर आवश्यक उपचारी कार्रवाई की जाती है ।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का खोला जाना

2430. श्री अजीत जोगी :
ठाकुर हरपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी नीति बनाई है कि ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे प्रत्येक विकास खण्ड में जिसकी आबादी 17 हजार है, बैंक की एक शाखा खोली जायेगी और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी ग्रामीण व्यक्ति को बैंक की शाखा तक पहुंचने के लिए 10 कि० मी० से ज्यादा की दूरी तय न करनी पड़े ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में कितनी बैंक शाखायें खोली जानी चाहिये ; और

(ग) ऐसी शाखाओं की संख्या कितनी है जिनके लिए आवेदन पत्र स्वीकृति दिये जाने हेतु लंबित पड़े हैं तथा उपरोक्त लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एहमद पटेल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य प्रत्येक विकास खण्ड के ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 17,000 की औसत आबादी के पीछे एक बैंक कार्यालय खोलना तथा प्रत्येक गांव से 10 कि० मी० की दूरी के अन्दर-अन्दर एक बैंक कार्यालय उपलब्ध कराना है ।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राज्य सरकार से प्राप्त पता लगाए गए केन्द्रों की सूचियों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न बैंकों को मध्य प्रदेश राज्य में नीति के मानदण्डों के अनुसार अपनी-अपनी शाखाएं खोलने के लिए 487 ग्रामीण/अर्ध-शहरी केन्द्र आबंटित किये हैं । प्रारम्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति की शेष अवधि में आबंटित केन्द्रों में चरणबद्ध रीति से शाखाएं खोलने के वास्ते कहा था । लेकिन गांवों में ऋण देने के वास्ते सेवा क्षेत्र योजना के सन्दर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से उन मामलों को छोड़कर जहां न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 31-3-1989 तक शाखाएं खोलने के लिए कहा है ।

वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से नई शाखाएं खोलने के लिए प्राप्त तथा मंजूर किए गए आवेदनों का ब्यौरा प्राप्त नहीं होता है क्योंकि नई शाखाएं खोलने के वास्ते केन्द्रों का आबंटन खण्डवार आवश्यकताओं की विस्तृत समीक्षा के आधार पर किया जाता है ?